सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 366/18 **निर्णय दिनांकः 27.08.2019**

1. जयप्रकाश पुत्र गोपीराम जाति खीचड़ बिश्नोई निवासी फूलासर बड़ा तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. सदासुख पुत्र शिवनाथराम जाति बिश्नोई निवासी फूलासर छोटा तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बज्जू।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. भंवरलाल पुत्र भीखें खॉ जाति मिरासी निवास पॉचू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 20.07.2018
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः
1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट संख्या 1 व 2
2. श्री नन्दराम कासनिया, राजकीय अभिभाषक
3. सुश्री रोशन आरा, अभिभाषक रेस्पोडन्ट् संख्या 1

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 20—07—2018 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधि विरूद्व व रिकार्ड के विपरीत जाकर वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक व अभिभाषक अपीलांट ने पत्रावली पर कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भंवरलाल पुत्र भीखे खॉ को सर्वप्रथम दिनांक 16—02—1984 को चक 15 केएचडी के मुरब्बा नम्बर 149/56 में 21 बीघा, मुरब्बा नम्बर 149/48 में 20 बीघा कुल तादादी 41 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। जिसकी तमाम किश्तें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा खजानाराज में जमा करवाने के पश्चात् दिनांक 27—04—2000 को उक्त भूमि की खातेदारी प्राप्त की जी गई जो कि खातेदारी सनद् संख्या 33/37 जारी कर दी गई। जिसका अंकन सेल रजिस्टर में है। उक्त तमाम कार्यवाही के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरणकरण संख्या 189 दिनांक 30—03—2010 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक 06—04—2010 को श्रीमती सरोजदेवी पत्नी अशोक कुमार राठी को विक्रय कर दी गई जिसका नामान्तरणकरण संख्या 193 दिनांक 26—04—2010 दर्ज किया गया। तत्पश्चात् सरोज देवी ने उक्त भूमि दो विक्रय पत्रों के माध्यम से क्रमशः सुमेर सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत को मुरब्बा नम्बर 149/56 की 17 बीघा 14 बिस्वा भूमि विक्रय कर दी गई तथा शेष भूमि महावीर सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत को विक्रय कर दी गई। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने पूर्व की पुख्ता आवंटित भूमि को पूर्ण रूप से विक्रय किया जा चुका था।

उपरोक्त तमाम कार्यवाह पूर्ण करने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उपरोक्त तथ्यों को छिपाते हुए न्यायालय हाजा के समक्ष एक अपील इस आश्य की प्रस्तुत की गई कि रेस्पोडन्ट संख्या 1 को आवंटित उपरोक्त भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति सुमेर सिंह को आवंटित हो जाने के कारण समान श्रेणी की अन्य का आवंटन किया जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय हाजा को धोखे में रख कर व तथ्यों को छिपाते हुए उपरोक्त भूमि की एवज में अन्यत्र भूमि आवंटन का आदेश प्राप्त कर लिया गया व उक्त आदेश की आड़ में अधीनस्थ न्यायालय से वादग्रस्त भूमि चक 9 पीएसडी के मुरब्बा नम्बर 44/59 के किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21 ता 24 तादादी 12 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 44/40 के किला नम्बर 3 से 8, 13 से 16 में 10 बीघा कुल 22 बीघा कमाण्ड भूमि के आदेश प्राप्त कर लिये गये।

उक्त आदेश स्पष्ट रूप से तथ्यों को छिपाते हुए प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि पर मौके पर बिश्नोई समाज के अराध्या देव जाम्भोजी का मन्दिर बना हुआ है तथा इस मन्दिर के आस—पास वन्य जीव चिन्कारा व अन्य प्रजाति के मृग व अन्य पशु—पशी निवास करते है। उक्त स्थिति के अनुसार ग्राम पंचायत फूलासर के पत्र क्रमांक 06—11—2017 व कार्यालय उपवन संरक्षक के पत्र क्रमांक 3939 दिनांक 29—03—2018 द्वारा चक 9 पीएसडी की उपरोक्त भूमि को वन विभाग को आवंटित करने के प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर, बीकानेर को प्रेषित किये जा चुके है। उक्त स्थिति स्वमेव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् बिना रिपोर्ट प्राप्त किये उपरोक्त आवंटन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि शुद्व रूप से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि नहीं होते हुए व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए आदेश जैर अपील प्राप्त किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट् स्टेट को अंधेर में रखकर व तथ्यों को छिपाते हुए व आवंटन प्रक्रिया का बेजा फायदा उठाते हुए प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में ऐसे एकतरफा व कानून विरूद्व आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा जिस अपीलाधीन आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है, उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने की उन्हें

लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। वे उक्त आदेश किस प्रकार से व्यथित है साबित करने में असफल रहे है। अपीलांट् का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन को येन—केन—प्रकारेण निरस्त करवाने के उद्वेश्य मात्र से अपीलांट् द्वारा उपरोक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—06—2018 में दिये गये निर्देशों की पालना में उपरोक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। उपरोक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व के आवंटन को निरस्त करते हुए किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटित भूमि की तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवंटन के संबंध में तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त है। अपीलांट् का कथन कि वादग्रस्त भूमि के मौके पर बिश्नोई समाज के अराध्य देव जाम्भोजी का मंदिर बना हुआ है व अन्य वन प्राणी वहॉ निवास करते है स्वीकार योग्य कथन नहीं है क्योंकि अपीलांट द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल मौखिक कथन के आधार पर वे किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि जहॉ तक अपीलांट्स जयप्रकाश व सदासुख का वादग्रस्त भूमि से संबंध का प्रश्न है, अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना—देना नहीं है। यदि अपीलांट् के इस कथन को स्वीकार भी कर लिया जावे कि उक्त भूमि पर बिश्नोई समाज के अराध्य देव का मन्दिर है तब भी उन्हें उपरोक्त भूमि पर कोई अधिकार हासिल नहीं होते है। अपीलांट्स द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट के आवंटन को निरस्त करवाने के उद्वेश्य मात्र से उपरोक्त अपील प्रस्तुत की गई है। जिसकी उन्हें लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील लोकस स्टेण्डाई के साथ—साथ गुणावगुण के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे व आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

अपीलांट्स द्वारा उपरोक्त अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे संतोषजनक कारण नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद व धारा 96 सीपीसी का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए न्यायालय को अंधेरें में रखते हुए प्राप्त किया गया है। ऐसे जालसाजी पूर्वक प्राप्त किये गये आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। प्रकरण में चूंकि स्टेट को बतौर अपीलांट स्थापित किया जा चुका है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में स्वीकार किया जाता है।

हस्तगत् प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया ही साबित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 16—02—1984 को चक 15 केएचडी के मुरब्बा नम्बर 149/56 में 21 बीघा, मुरब्बा नम्बर 149/48 में 20 बीघा कुल तादादी 41 बीघा भूमि आवंटित की गई थी, उक्त आवंटित भूमि की तमाम किश्तें जमा करवाने के उपरान्त दिनांक 27—04—2000 को उक्त भूमि की खातेदारी सनद् संख्या 33/37 जारी की गई तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 189 दिनांक 30—03—2010 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया।

उक्त कार्यवाही के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06—04—2010 को श्रीमती सरोजदेवी पत्नी अशोक कुमार राठी को विक्रय कर दी गई जिसका नामान्तरणकरण संख्या 193 दिनांक 26—04—2010 दर्ज किया गया। तत्पश्चात् सरोज देवी ने उपरोक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 149/56 की 17 बीघा 14 बिस्वा भूमि सुमेर सिंह पुत्र सवाई सिंह को

विक्रय कर दी गई तथा शेष भूमि महावीर सिंह पुत्र रामसिंह को विक्रय कर दी गई। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने पूर्व की पुख्ता आवंटित व खातेदारी प्राप्त भूमि का पूर्ण रूप से विक्रय करने के उपरान्त न्यायालय को अंधेरें में रखते हुए तथा उपरोक्त तथ्यों को छिपाते हुए अपनी आवंटन पत्रावली के आधार पर व विक्रय पत्र के आधार पर तैयार जमाबन्दी के अंकन को आधार बनाकर एक अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें यह आधार लिया गया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में अन्य व्यक्ति सुमेर सिंह को आवंटित होने के कारण उपरोक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है अतः समान श्रेणी की अन्य भूमि का आवंटन किया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पूर्व में आवंटित/खातेदारी प्राप्त भूमि के संबंध में बेचान के संबंध में की गई कार्यवाही के संबंध में किसी प्रकार का कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अन्य भूमि आवंटन के आदेश प्रदान किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आदेश जैर अपील के माध्यम से चक 9 पीएसडी के मुरब्बा नम्बर 44/59 के किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21 ता 24 तादादी 12 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 44/40 के किला नम्बर 3 से 8, 13 से 16 में 10 बीघा कुल 22 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन कर दिया गया।

प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा इस तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किया जा चुका है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि की खातेदारी प्राप्त करते हुए उपरोक्त भूमि का बेचान किया जा चुका है तथा उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त न्यायालय को अंधेरें में रखकर व तथ्यों को छिपाते हुए न्यायालय हाजा से अन्य भूमि आवंटन के आदेश प्राप्त किये गये है। न्याय का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि आवंटन नियमों के तहत न्यायालय के समक्ष किसी भी तरीके से कभी भी दुर्व्यपदेश या वास्तविक तथ्य सामने आने पर आवंटन खारिज किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जालसाजी करते हुए आदेश प्राप्त किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ऐसा आदेश कभी भी स्वप्रेरित कार्यवाही के तहत भी खारिज कर सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या

1 पूर्व में आवंटित/खातेदारी प्राप्त भूमि के बेचान के संबंध में किसी प्रकार का संतोाजनक प्रतिउत्तर देने में असफल रहे है। लिहाजा तथ्यों को छिपाकर व जालसाजी पूर्वक प्राप्त अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—07—2018 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27—08—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर